बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक- रान्यास 'ख'-12/2017/1588 /पटना, दिनांक- 21.9.17

प्रेषक,

पूनम, भा.प्र.से.
निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, मुंगेर, बेगुसराय, भागलपुर, पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी), सारण एवं सिवान।

विषयः- **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से संबंधित अन्वेषकों को सर्वेक्षण कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75वें सत्र का कार्य आपके जिला में पदस्थापित अन्वेषकों द्वारा संपूर्ण राज्य में किया जा रहा है। यह कार्य भारत सरकार के अधीनस्थ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के मार्गदर्शन में Equal Matching sample के आधार पर राज्य द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यह कार्य एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है तथा समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान सत्र का सर्वेक्षण अवधि माह जुलाई, 2017 से माह जुन, 2018 तक निर्धारित है। विदित हो कि इस सत्र में राज्य द्वारा 660 प्रतिदर्शों का सर्वेक्षण किया जाना है। परंतु माह अगस्त, 2017 तक कुल 77 प्रतिदर्श का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हो पाया है। भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में किसी भी परिस्थिति में सर्वेक्षण आहत नहीं होना है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार रान्यास अन्वेषकों को सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में भी लगाया जा रहा है फलस्वरूप सर्वेक्षण कार्य बाधित हो जाता है।

अतः अनुरोध है कि सर्वेक्षण कार्य ससमय संपादित कराने हेतु अन्वेषकों को सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
21/9/17
निदेशक

(15) Mk singh 20 Sept. 2017